

**न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर [राज०]**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही	
------------	-------------------	--

9.3.21

कार्यालय प्रतिवेदन का अवलोकन किया / अपील दर्ज रजिस्टर हो / विज्ञान कमीशंस को सुना / पत्रावली का अवलोकन किया / साथ ही अपीलार्थीन निर्णय का भी अवलोकन किया / तदन अदालत ने अपीलार्थी का T. I. का प्राथम पत्र यह कहते हुए खारिज किया है कि सरकार के ^{खिलाफ} T. I. जारी नहीं की जा सकती / तदन अदालत का यह विवेचन विचिंसम्मत नहीं है क्योंकि सरकार की ओर से जवाब भी पैत्रा नहीं हुआ और बिना जवाब के ही अपीलार्थी का T. I. का प्रा. पत्र खारिज कर दिया ।

अतः तदन अदालत को निर्दिष्ट किया जाता है कि वो प्रकरणों में सरकार से जवाब लेकर दोनों पक्षों को सुनकर नियमानुसार आग्रिम कार्यवाही करें / उभयपक्षों को सुनवाई तदन अदालत में नियत दिनांक को पैत्रा हो / अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है ।

इस आदेश की प्रति तदन अदालत को भिजवाई जावे ।
पत्रावली फंसल नुमां हो ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर